न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – राजीव द्विवेदी, RAS

प्रकरण संख्या : 38/2025
रजिस्ट्रेशन नं. : 2025/44

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा (राज)

बनाम

अभियुक्त :–

1. श्री मनीष कलाल पुत्र श्री मनी लाल कलाल निवासी– भोयन, टीमेढा रोड कलिंजरा, बांसवाडा (विक्रेता/मालिक) मैसर्स– सावरिया किराणा स्टोर, भोयन, टीमेढा रोड कलिंजरा, बांसवाडा (राज) मो. नं. 9950711971
2. श्री कल्पेश पुत्र श्री मनसुख लाल (फर्म/मालिक) निवासी– नई आबादी, बडोदिया, बांसवाडा मैसर्स– आदिनाथ किराणा एण्ड मार्केटिंग, नई आबादी बडोदिया, बांसवाडा मो. नं. 8003246762
3. श्री संदीप बाबूलाल बगरेसा नोमिनी– **M/S Rishabh Salt Industries, D.B. North-12, Near C.L. Sharma Guest house, collector Road, Gandhidham-Kutch Bhuj, Gujarat-370201 Mob. No-9727768979**
4. **M/S Rishabh Salt Industries, D.B. North-12, Near C.L. Sharma Guest house, collector Road, Gandhidham-Kutch Bhuj, Gujarat-370201 Mob. No-9727768979**

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि **श्री शशिकान्त शर्मा** खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा (राज.) के द्वारा दिनांक **22–07–2025** को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक **18–12–2024** को दौराने निरीक्षण 12.15 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जॉच हेतु **मैसर्स सावरिया किराणा स्टोर, भोयन, टीमेढा रोड कलिंजरा, बांसवाडा (राज)** पर पहुंचा तो वहाँ पर **श्री मनीष कलाल पुत्र श्री मनी लाल कलाल** मिले। **विक्रेता एवं गवाहान् की उपस्थिति में मैसर्स मैसर्स सावरिया किराणा स्टोर, भोयन, टीमेढा रोड कलिंजरा** का निरीक्षण करने पर दुकान में **रिफायण्ड आयोडाईज्ड नमक (मजेदार) जो 13 कट्टो में प्रत्येक कट्टे में 1 किलोग्राम वजनी 25 पैकेट**

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

रखे हुए थे। रिफायण्ड आयोडाईज्ड नमक (मजेदार) जिसमे गुणवत्ता की कमी एवं मिसब्राण्ड का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए **रिफायण्ड आयोडाईज्ड नमक (मजेदार) के 4 पैकेट प्रत्येक 1 किलो ग्राम कुल 4 किलोग्राम** वास्ते नमुना जॉच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत **40/– रु.** विक्रेता को नगद चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा **रिफायण्ड आयोडाईज्ड नमक (मजेदार) के 4 पैकेट प्रत्येक 1 किलो ग्राम के चार नमूना भाग तैयार कर प्रत्येक भाग** पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा का कोड क्रमांक **W-2011** प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी व सील बंद किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। सील बंद नमूनो पर गवाहो के हस्ताक्षर कराकर नमूने का सम्पूर्ण विवरण लिखकर हस्ताक्षर कर चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर मौका फर्द रिर्पोट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर, हस्ताक्षर करने को कहा, जिन्होने स्वयं ने भी पढकर, सुनकर, समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

कार्यालय पहुचकर फार्म नंबर 6 की प्रतियाँ तैयार की प्रत्येक पर सील मोहर कर एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2025/25 दिनांक 16–01–2025 एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1556 दिनांक 30–12–2024 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **रिफायण्ड आयोडाईज्ड नमक (मजेदार)** का नमुना कोड क्रमांक **W-2011** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

standards act 2006 पाया गया। जिसकी सूचना विक्रेता/मालिक को दी गई, नमूने की पुनः जाँच हेतु अपील नही की है।

फर्म के मालिक **श्री मनीष कलाल पुत्र श्री मनी लाल कलाल निवासी– भोयन, टीमेढा रोड कलिंजरा, बांसवाडा (विक्रेता/मालिक) मैसर्स– सावरिया किराणा स्टोर, भोयन, टीमेढा रोड कलिंजरा, बांसवाडा** को पत्र लिखकर फर्म से सम्बन्धित सूचना चाहने एवं उक्त खाद्य पदार्थ **रिफायण्ड आयोडाईज्ड नमक (मजेदार)** किसी अन्य फर्म से खरीदा है तो अग्रीम माल बिल खरीद की सूचना के लिये पत्र लिखा , जिस पर विक्रेता ने **रिफायण्ड आयोडाईज्ड नमक (मजेदार)** का अग्रिम माल खरीद बिल **मैसर्स– आदिनाथ किराणा एण्ड मार्केटिंग, नई आबादी बडोदिया, बांसवाडा** का बिल प्रस्तुत किया। **मैसर्स– आदिनाथ किराणा एण्ड मार्केटिंग, नई आबादी बडोदिया, बांसवाडा** से यह पत्र व्यवहार करने पर **M/S Rishabh Salt Industries, D.B. North-12, Near C.L. Sharma Guest house, collector Road, Gandhidham-Kutch Bhuj, Gujarat-370201** का बिल प्रस्तुत किया। विक्रेता द्वारा **रिफायण्ड आयोडाईज्ड नमक (मजेदार)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 22–07–2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपीगणो को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 23–12–2025 को अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने उपस्थित होकर एवं अप्रार्थी सं. 3 द्वारा अप्रार्थी सं. 2 को अपनी ओर से अपना प्रतिनिधि प्राधिकृत करते हुए जुर्म स्वीकरोक्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें उल्लेखित किया कि माननीय न्यायालय द्वारा जो भी पेनल्टी हो वह स्वीकार है।

आरोपीगणो की ओर से अपराध स्वीकार किया गया है अतः किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस. ए/2025/25 दिनांक 16–01–2025 एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1556 दिनांक 30–12–2024 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

जांच हेतु क्रय किया गया **रिफायण्ड आयोडाईज्ड नमक (मजेदार)** का नमुना कोड क्रमांक **W-2011** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standards act 2006 पाया गया है। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत सबस्टेण्डर्ड पाया गया **रिफायण्ड आयोडाईज्ड नमक (मजेदार)** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थी **श्री मनीष कलाल पुत्र श्री मनी लाल कलाल निवासी– भोयन, टीमेढा रोड कलिंजरा, बांसवाडा (विक्रेता/मालिक) मैसर्स– सावरिया किराणा स्टोर, भोयन, टीमेढा रोड कलिंजरा, बांसवाडा (राज) को रूपये 2500/– (अक्षरे दो हजार पांच सौ रुपया मात्र), श्री कल्पेश पुत्र श्री मनसुख लाल (फर्म/मालिक) निवासी– नई आबादी, बडोदिया, बांसवाडा मैसर्स– आदिनाथ किराणा एण्ड मार्केटिंग, नई आबादी बडोदिया, बांसवाडा को रूपये 2500/– (अक्षरे दो हजार पांच सौ रुपया मात्र), M/S Rishabh Salt Industries, D.B. North-12, Near C.L. Sharma Guest house, collector Road, Gandhidham-Kutch Bhuj, Gujarat-370201** को **रूपये 5000/– (अक्षरे पांच हजार रुपया मात्र) से दण्डित कर** खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 23–12–2025 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(राजीव द्विवेदी)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति0 जिला मजिस्ट्रेट)
बांसवाड़ा (राज.)

न्याय निर्णयन अधिकारी (अति. जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राज.)